



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

SUMMONS

फा. सं.: NCST/ATY-2980/MH/24/2025-RU-I

श्री सोमनाथ पद्मावती शिंदोजीराव धार्गे,
पुलिस अधीक्षक,
जिला -अहिल्यानगर,
पुलिस अधीक्षक कार्यालय,
डीएसपी चौक के पास, मुकुंदनगर,
अहिल्या नगर, महाराष्ट्र- 414001
ई-मेल: sp.ahilyanagar@mahapolice.gov.in
Tel. No: 02412416101

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुरण करते हुए निम्नलिखित मामलों का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष (श्री अंतर सिंह आर्य) के समक्ष दिनांक 19.12.2025 को अपराह्न 11:30 बजे आयोग मुख्यालय, न्यायालय कक्ष-1, 6वां तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा जांच के लिए सम्बंधित दस्तावेज अपने साथ लायें।

मामलों का सन्दर्भ:-

संदर्भ 1. अनुसूचित जनजाति के परिवार के चार सदस्यों की हत्या के संदर्भ में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0571 दिनांक 01/11/2024, 0771 दिनांक 30/06/2024 एवं 0591 दिनांक 27/11/2024 पर उचित कार्यवाही हेतु श्रीमति वैशाली भाऊसाहेब पिम्पले, निवासी गणेश नगर, वाकडी, तहसील-राहाता, जिला-अहिल्यानगर (अहमदनगर)-413719, महाराष्ट्र का अभ्यावदन दिनांक 03/09/2025 के संदर्भ में।

संदर्भ 2: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 04.11.2025.

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत कारण के इस आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिए गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 03, दिसंबर, 2025 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर

न्यायालय अधिकारी

Court Officer
National Commission for Scheduled Tribes
Government of India
Lok Nayak, Bhawan, New Delhi-110003

मोहर

